न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–06, लखीमपुर–खीरी
उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।

दाण्डिक वाद सं०–746/2007
रजि नं०–600746/2007

CNR NO. UPLP01–000227–2007

उ०प्र० राज्य ––––अभियोगी।

बनाम

1–सईदुल पुत्र इकबाल निवासी ग्राम महाराज नगर थाना धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी।
2–रहीस अहमद उर्फ पैरू पुत्र इदरीश निवासी ग्राम महाराज नगर थाना धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी।
3–शमीम पुत्र इब्राहीम निवासी ग्राम महाराज नगर थाना धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी।
4–इंसान अली पुत्र जहूर अहमद निवासी ग्राम रामनगर लहबड़ी, थाना धौरहरा जिला खीरी।
5–अयूब पुत्र वारिस अली निवासी ग्राम महाराज नगर थाना धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी।
––––अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–342/2007
धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
थाना–धौरहरा, जिला खीरी।

निर्णय

1– थाना–धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु०अ०सं०–342/2007, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण सईदुल, रहीस अहमद उर्फ पैरू, शमीम, नसीम अमहद, अयूब व इंसान अली के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2– संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 05–04–07 को प्रभारी निरीक्षक राममूर्ति सिंह यादव मय कां० कैलाश यादव के थाना हाजा से बहवाले रपट नं०–25 समय 21:30 बजे रवाना होकर अन्दर इलाका हाजा तलाश वांछित अपराधी एवं गश्त चेकिंग में मामूर था, तो ज्ञात हुआ कि सईदुल ने अपना एक सुसंगठित गैंग बना रखा है। जिसका वह स्वयं गैंग लीडर है तथा रहीश अहमद, शमीम, नसीम अहमद, अयूब व इंसान अली इस गैंग के सक्रिय सदस्य है, जो आये दिन भा०दं० वि० के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराधों को करने में लिप्त है तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रह कर लूटपाट, वाहन चोरी और शरीर सम्बन्धी अपराध करके स्वयं तथा गैंग के सदस्यों के लिये अपने अपराधिक कृत्यों से अपने लिये अवैध धन अर्जित करते है। इनके सदस्यों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटती बढ़ती रहती है। इनका थाना स्थानीय एवं आस–पास के थाना क्षेत्रों में अपराध करने की काफी शिकायत है। इनका जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने एवं गवाही देने की हिम्मत नहीं करते। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इनके द्वारा किये गये अपराधिक कृत्यों से यह प्रमाणित है कि यह गैंग समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त है। इनका यह कृत्य धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इनका समाज में स्वच्छन्द रहना जनहित में नहीं है। इनके विरूद्ध गैंगचार्ट में अभियोग पंजीकृत है। गैंगचार्ट जिला मजिस्ट्रेट खीरी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3– वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक धौरहरा राममूर्ति सिंह यादव द्वारा दी गयी जुबानी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण सईदुल, रहीस अहमद उर्फ पैरू, शमीम, नसीम अमहद, अयूब व इंसान अली के विरूद्ध दिनांक 05–04–2007 को समय 23:40 बजे, थाना–धौरहरा, जिला खीरी में मु०अ०सं०–342/2007, धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका इन्द्राज थाने की कायमी जी०डी० में विधिनुसार किया गया।

4– विवेचक द्वारा विवेचना की गयी तथा वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये। विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण सईदुल, रहीस अहमद उर्फ पैरू, शमीम, नसीम अमहद, अयूब व इंसान अली के विरूद्ध मु०अ०सं०–342/2007, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्तगण सईदुल, रहीस अहमद, शमीम, नसीम अमहद, अयूब व इंसान अली के विरूद्ध दिनांक 07–04–2015 को धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6– अभियुक्तगण नसीम अहमद की मृत्यु हो जाने के आदेश दिनांकित 25–11–2023 के माध्यम से उसके विरूद्ध प्रकरण की कार्यवाही उपशमित की गयी। इस प्रकार वर्तमान वाद में मात्र अभियुक्तगण सईदुल, रहीस अहमद उर्फ पैरू, शमीम, अयूब व इंसान अली का विचारण किया जा रहा है।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में कैलाश यादव (रिटायर्ड उपनिरीक्षक) को परीक्षित कराया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

8– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में गैंगचार्ट, आरोप पत्र, अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्रपत्र में संलग्न है, परन्तु जिन्हें अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है।

9– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 04–07–2026 को लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक तथा गवाहान के बयानों को गलत कहते हुए अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलने का कथन किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहा गया है।

10– अभियुक्तगण पक्ष को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य नहीं दिये जाने का पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया गया है।

11– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

12– अभियुक्तगण पर आरोप है कि भिन्न–भिन्न दिनांक, समय व स्थान पर थाना धौरहरा जिला खीरी की सीमा के अन्तर्गत अभियुक्तगण ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त रहे, जिसके कारण समाज में भय व्याप्त हो गया।

13– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्तगण ने गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित कर लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है

और आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ प्राप्त कर अवैध सम्पत्ति का अर्जन किया है। गिरोह का क्षेत्र में भय व आंतक है, जिस कारण उसके विरूद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये ।

14– अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण द्वारा वर्णित अपराधों को कर अर्जित अवैध संपत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त किया जाये ।

15– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु परीक्षण योग्य है–

(i)– क्या अभियुक्तगण किसी "गैंग" का सदस्य/ सरगना था ?

(ii)– क्या अभियुक्तगण ने गैंग के रूप में उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2(ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रियाकलाप किया और अभियुक्तगण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–3 का अपराध कारित किया ?

16– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1886 की धारा 2 (ख) में ''**गिरोह**'' और धारा 2 (ग) में ''**गिरोहबंद**'' को परिभाषित किया गया है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–2(ख) और 2(ग) के अनुसार अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह साबित करना है कि अभियुक्तगण में से किसी एक अभियुक्तगण ने स्वयं या सभी अभियुक्तों ने सम्मिलित रूप से दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से धारा–2 (ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप किया है। अभियोजन को यह भी साबित करना है कि अभियुक्तगण किसी गिरोह का सदस्या या सरगना या संगठनकर्ता है या वह गिरोह के क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है या किसी अभियुक्तगण को जिसने क्रियाकलाप किया है, उसे संश्रय देता है।

17– आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह विधि के अन्तर्गत दोषी साबित नहीं हो जाता। अभियोजन पर अपने प्रकरण को साबित करने का प्राथमिक भार होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हितेन पी. दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी, (2001) 6 एस.सी.सी. 16, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम म० प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी.सी. 699, रंजीत सिंह ब्रम्हजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 5 एस.सी.सी. 294, एम.एस. नारायन मेनन उर्फ मणी बनाम केरल राज्य और अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 39, राजेश रंजन यादन उर्फ पप्पू यादव बनाम सी.बी.आई. द्वारा निदेशक (2007) 1 एस.सी.सी. 70** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध जितना गम्भीर होता है, सबूत उतना ही ठोस होना चाहिए। इस प्रकार किसी गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्तगण को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तरीय साक्ष्य का होना आवश्यक है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बल्देव सिंह (1999) 3 एस.सी.सी. 977 , तथा जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी. सी. 562** के मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

18– विधि व्यवस्था–**अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1848 तथा हरेन्द्र सरकार बनाम असम राज्य ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि संदेह से परे अपने वाद को

सिद्ध करे तथा अभियोजन द्वारा इस गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि न्यायाधीश एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह यदि विचार करें तो उपलब्ध साक्ष्य से प्रत्येक परिस्थिति में यह सिद्ध हो कि अभियुक्तगण द्वारा ही अपराध कारित किया गया है, उसके दिमाग में कोई संशय उत्पन्न न हो।

19– विधि व्यवस्था **उ०प्र० राज्य बनाम फूल मियां, 1998(1)जे0 आई 0 सी0 792** में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''सम्बद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा किये गये कृत्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि उसने वास्तविक रूप से वह कृत्य किये हैं, जिसका परिवाद किया गया है।''

20– गैंगचार्ट के अनुसार, अभियुक्त सईदुल के विरूद्ध मु०अ०सं०–227/07 धारा–147,148,149,307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–67/07 धारा–379 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–196/07 धारा–379,411 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–264/07 धारा–379,411 भा०दं०वि०, अभियुक्त रहीस अहमद के विरूद्ध मु०अ०सं०–67/07 धारा–379 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–196/07 धारा–379,411 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–264/07 धारा–379,411 भा०दं०वि०, अभियुक्त शमीम के विरूद्ध मु०अ०सं०–227/07 धारा–147,148,149,307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–67/07 धारा–379 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–196/07 धारा–379,411 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–264/07 धारा–379,411 भा०दं०वि०, अभियुक्त इंसान अली के विरूद्ध मु०अ०सं०–227/07 धारा–147,148,149,307 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–67/07 धारा–379 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त अयूब के विरूद्ध मु०अ०सं०–227/07 धारा–147,148,149,307 भा०दं०सं०, मु०अ० सं०–67/07 धारा–379 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–196/07 धारा–379,411 भा०दं०सं० व मु०अ० सं०–264/07 धारा–379,411 भा०दं०वि० थाना धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी में पंजीकृत हैं।

21– **साक्षी पी०डब्लू०–1 कैलाश यादव (रिटायर्ड उपनिरीक्षक)** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 08–07–2025 में कथन किया है कि, "दिनांक 05–04–2007 को रात में मेरी ड्यूटी थाना धौरहरा में कार्यलेख पर थी। तत्कालीन एस०एच०ओ० राम मूर्ति सिंह यादव की सूचना पर मेरे द्वारा अप०सं० 342/07 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना धौरहरा की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस मुकदमे की कायमी भी मेरे द्वारा की गयी है। इस मुकदमें का खुलाशा दिनांक 05–04–07 को ही मु०अ०सं०–342/2007 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर थाना धौरहरा जिला खीरी में किया गया था। विवेचना एस०ओ० ईसानगर को सौपी गयी थी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

22– प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "कायमी जी०डी० प्रदर्श क–2 कार्बन कॉपी की फोटो कॉपी लगी है। मूल कॉपी नष्ट हो चुकी है। समयावधि के उपरान्त कायमी जी०डी० नष्ट की गयी थी। उसका आदेश नहीं लाये है। कायमी जी०डी० का नं० पढ़ने में नहीं आ रहा है। क्योंकि फोटो कॉपी लगी है। कायमी जी०डी० मैने अपने विवेक से प्रमाणित कर दिया है। यह कहना गलत है कि पुलिस विभाग में पूर्व से कार्यरत होने के कारण कायमी जी०डी० गलत प्रमाणित की हो। चिक की तहरीर इसलिये नहीं है, क्योंकि जुबानी सूचना पर दर्ज हुई है। मैं तत्कालीन एस०ओ० राममूर्ति सिंह के अधीनस्थ कार्य करता था। मुकदमे के तथ्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस मुकदमें के दर्ज होने के पहले व बाद में उस दिन कौन दर्ज मुकदमें संज्ञेय अपराध के थे, हमे याद नहीं है। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे। कब और कहा लिये थे, अब मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं पुलिस विभाग में कार्यरत होने से गलत चिक के बारे में जो मेरे द्वारा दर्ज न की गयी हो, गलत बयानी कर रहा हूं। उस समय क्षेत्राधिकारी धौरहरा कौन थे, यह जानकारी नहीं है। मूल एफ०आई०आर० गैंगेस्टर कोर्ट में दर्ज होने के 24 घण्टे में मुख्यालय से होते हुए गैंगस्टर कोर्ट में भेजी जाती है। प्रदर्श क–1 मूल ही पत्रावली में लगा है, जो दो पेज में है। उस पर तत्कालीन गैंगस्टर कोर्ट की न तो सील मोहर है और न कोई हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि चिक में

अंकित अभियुक्तगणों को क्षेत्र में शोहबत खराब करने के लिये और जेल में अधिक दिन निरूद्ध रखने के लिये अपने उच्चाधिकारियों के दबाव में बिना जांचे परखे चिक दर्ज की हो।"

23– साक्षी पी०डब्लू०–1 कैलाश यादव (रिटायर्ड उपनिरीक्षक), चिक लेखक साक्षी है, जिसने मुख्य परीक्षा बयान में अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित किया गया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मुकदमे के तथ्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस मुकदमें के दर्ज होने के पहले व बाद में उस दिन कौन दर्ज मुकदमें संज्ञेय अपराध के थे, हमे याद नहीं है।" यहां महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षी द्वारा मुकदमें के तथ्यों के बारे में जानकारी होने तथा उक्त मुकदमें के दर्ज होने के पहले और बाद में कौन से मुकदमें दर्ज किये थे, की जानकारी होने से इंकार किया गया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि विवेचक ने उसके बयान लिये थे, परन्तु कब और कहा लिये थे, यह उसे याद नहीं है। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी मात्र औपचारिक रूप से अभियोजन प्रपत्र को साबित किया है, इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई महत्वपूर्ण बयान नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शित होती हो अथवा अभियुक्तगण द्वारा अनुचित रूप से कोई अवैध धन अर्जित किया गया हो, इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये है।

24– **Vinod Bihari Lal v. State of U.P., 2025 SCC Online SC 1216,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि गैंगचार्ट और स्वीकृति मात्र औपचारिक "rubber stamp" नहीं हो सकती, सक्षम प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से सामग्री पर विचार करना आवश्यक है।

25– **Vinay Kumar Gupta V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 79679 (Application u/s 482 No.–20422 of 2024) and Kamalveer Singh V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 87524–DB (Criminal Misc. Writ petition No.–16327 of 2024)** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये आधारभूत मुकदमों की स्थिति, आरोप पत्र, लम्बित कार्यवाही और प्रासंगिक सामग्री स्पष्ट होने चाहिये; गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग यांत्रिक ढंग से नहीं किया जा सकता।

26– ये भी विधिक स्थिति है कि यदि आधारभूत मुकदमों का साक्ष्य ही अभियुक्तगण को समाज/ विरोधी गिरोह गतिविधि से नहीं जोड़ता, तो मात्र गैंगचार्ट या पुलिस राय के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसे मामलों में प्रेक्षित किया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही आधारभूत आपराधिक सामग्री से पृथक होकर शून्य में खड़ी नहीं रह सकती (maxim–*Sublato Fundamento, cadit opus*) (**Ramesh Kumar V. State of U.P., Application u/s 482 No.–358 of 2024)।**

27– अभियोजन की ओर से गैंगचार्ट में वर्णित अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी वादी अथवा पीड़ित साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न की किसी स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिससे अभियुक्तगण की कथित घटनाक्रम में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

28– गैंगस्टर अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मात्र अभियोगित (accused) होने के आधार पर दण्डित करना नहीं है, अपितु ये सिद्ध करना है कि वह व्यक्ति किसी "गैंग" का सदस्य/ लीडर है, संगठित एवं निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तथा आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अपराध कर रहा है। जब आधारभूत मुकदमें में अभियुक्तगण की संलिप्तता ही न्यायिक परीक्षण में सिद्ध नहीं हुई, तब उसी घटना के आधार पर गैंग सदस्यता एवं संगठित अपराध का निष्कर्ष निकालना स्पष्टतया विधिसम्मत मानक के विपरीत होगा। अभियोजन ऐसा कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे मूलभूत तथ्य साबित होते हो।

29– न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र जनसाक्षी, सम्भ्रान्त व्यक्ति या पीड़ित प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण के गिरोह से समाज में वास्तविक भय अथवा आतंक था। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही उससे अभियोजन अपने समर्थन में कोई तथ्य निकलवा पाने में सफल रहा है। अतः अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण किसी "गैंग" के सदस्य/ सरगना रहे हो तथा उसने संगठित गैंग के रूप में धारा–2(ख) में वर्णित समाज–विरोधी क्रियाकलाप किया हो। तद्नुसार उक्त बिन्दु अवधारित किया जाता है।

30– इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा उपर्युक्त विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्तगण सईदुल, रहीस अहमद, शमीम, अयूब व इंसान अली पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

31– अभियुक्तगण सईदुल, रहीस अहमद, शमीम, अयूब व इंसान अली को दाण्डिक वाद सं०–746/2007, मु०अ०सं०–342/2007, थाना–धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

32– अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

33– अभियुक्तगण द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत मु० 50,000–50,000/–(पचास–पचास हजार) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू इस निर्णय की तिथि के 07 दिवस के अन्दर, इस न्यायालय में इस बाबत दाखिल करें कि उन्हें जब कभी इस न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा, तब वे इस न्यायालय में या अन्यथा निर्देशित न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिनांकः 17–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 17–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.17 17:16:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court